राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिंटी जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 85/2023

तारीख रजू 21.06.2023

जीसीएमएस नं0....................

1 बनवारी पिसरान श्यामा उर्फ श्यामलाल
2 देवी पिसरान श्यामा उर्फ श्यामलाल
3 महादेवी पुत्री श्यामा उर्फ श्यामलाल
4 सुशीला पुत्री श्यामा उर्फ श्यामलाल
5 मीरा पुत्री श्यामा उर्फ श्यामलाल
6 उत्तम पिसरान हरीसिंह पुत्र श्यामलाल
7 भानू पिसरान पिसरान हरीसिंह पुत्र श्यामलाल
8 रेखा पिसरान पिसरान हरीसिंह पुत्र श्यामलाल
9 नथोली निसरान दामोदर
10 दिनेश पिसरान दामोदर
11 लालबन्ती वेवा दामोदर

} सभी जातियान धाकड निवासी धाकडपोठा हिण्डौनसिंटी जिला करौली

12 जगमाला पिसरान रामदेवसिंह
13 मु0 तारा पिसरान रामदेवसिंह
14 प्रतिभा पिसरान रामदेवसिंह
15 मु0 कमलेश पिसरान रामदेवसिंह
16 मु0 अंजना पिसरान रामदेवसिंह
17 मु0 विमलेश पिसरान रामदेवसिंह
18 मु0 हेमलता पिसरान रामदेवसिंह
19 काजोल पिसरान राजेन्द्र पुत्र रामदेवसिंह
20 आर्शी पिसरान राजेन्द्र पुत्र रामदेवसिंह
21 राधा वेवा राजेन्द्र पुत्र रामदेवसिंह

} सभी जातियान धाकड, निवासी श्रीनारायण पुरम कोटा (राज0)

:— वादीगण

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र गुटेरी
2 भगतसिंह पुत्र गुटेरी
3 तनुज पुत्र भूपसिंह
4 राहुल पुत्र भूपसिंह
5 मु0 ललिता वेवा भूपसिंह पुत्र गुटेरी
6 गोपाल पुत्र ओमबाबू पुत्र मनोहरी
7 महेन्द्र पुत्र भगवत
8 भोमपाल पुत्र भौरीलाल

} सभी जातियान धाकड निवासी धाकडपोठा हिण्डौनसिंटी जिला करौली

9 निहालसिंह पुत्र मुरारीलाल
10 तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

:— प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्त, एवं स्थाई निषेधाज्ञा में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थिति 1 श्री अशोक नीमनका वकील वादीगण/अप्रार्थी
2 श्री पुरुषोत्तम गोयल वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः— 12.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा खिलाफ प्रतिवादीगण वावत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत विवादित आराजी को पैतृक बता कर बताया है कि विवादित भूमि का मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज मृतक रजोल वहिस्सा 1/2 की खातेदारी

उपखण्ड अधि हिण्डौन सिटी (क...

Scanned with CamScanner

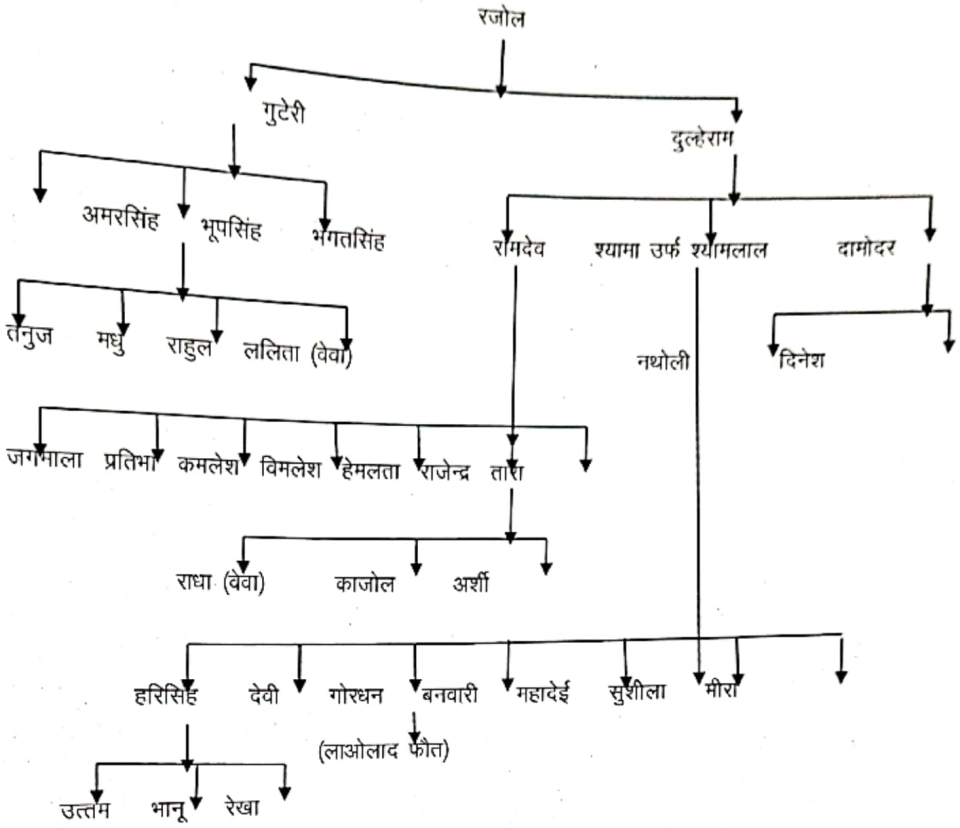

व कब्जेकाश्त की आराजी होना तथा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 एक ही परिवार एक ही बुजुर्ग की संताने होना बता कर सजरा प्रस्तुत किया गया है। जो निम्न प्रकार है:–

विवादित आराजी खसरा नं0 1193/9796, 1157, 1158, 1160, 1161, 1181, 1187, 1190, 1191, 1192, कुल किता 10 कुल रकवा 3.78 है0 कस्वा हिण्डौन में स्थित होना एवं वादीगण के बुजुर्ग मृतक रजोल हिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। इसको सावित करने के लिए जमाबंदी सम्बत 2055 से 2058 की पेश की है। जिसमें वादीगण को अपने बुजुर्ग के नाम की भूमि को अपने नाम घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है वादी का दावा दर्ज होने के वाद प्रतिवादीगणों की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर बताया गया है कि वादीगण ने उपरोक्त उनवानी दावा मुतजिका मद नं0 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात कुल किता 10 का रकवा 3.78 है0 को अपने बुजुर्ग रजोल से प्राप्त पैतृक भूमि बताते हुए उक्त कृषि आराजीयात के संदर्भ मे अपने हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। वादपत्र के मद नं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि कोई रजोल की खातेदारी की भूमि नही रही है बल्कि मद नं0 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजी साविक खसरा नं0 649, 655, 656, 651, 652, 659, 658, कस्वा हिण्डौन मे साविक खातेदार बशीर पुत्र नजीर मुसलमान निवासी हिण्डौन के नाम खातेदारी मे रहा है जिसमें अपनी उक्त आराजीयात को अलग–अलग वयनामो के माध्यम से दावा हाजा के प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता गुटेरी तथा किशन पुत्र रामरतन, भूरसिंह पुत्र कनीराम व लिट्टी पुत्र राधाकिशन को बेचान कर दिया गया और उसके वयनामे उक्त केतागण के हक में पंजीबद्ध करा दिये गये तत्पश्चात उक्त भूमि के सम्बंध में एक दावा न्यायालय [illegible] किशन पुत्र रामरतन व लिट्टी पुत्र राधाकिशन के द्वारा गुटेरी के वारिसान [illegible] अमरसिंह आदि मु0 नं0 188/1998 दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा दायर किया गया जिसका निर्णय दिनांक 19.01.2004 को होकर उक्त भूमि की उक्त प्रकरण के वादीग[illegible] प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अर्थात गुटेरी के वारिसान व प्रतिवादी नं0 11 भूरसिंह पुत्र भौरीलाल को खातेदार काश्तगार घोषित किया जाकर उनके मध्य भूमि का विभाजन किया जा चुका है ऐसी सूरत में विवादित भूमि के सम्बंध में वादीगण का दावा दायर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
हिण्डौन सिटी (क[illegible])

Scanned with CamScanner

करने हेतु कानूनन कोई विनाय दावा पैदा नही होता है तथा दावा हाजा मे विवादित आराजीयात के सम्बंध मे पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा उक्त पक्षकारो के बुजुर्गो के मध्य समस्त अधिकार पूर्व के मुकदमे उनवानी किशन आदि बनाम अमरसिंह आदि मे तय किये जाने से उक्त दावा कानूनन रेसज्यूडीकेटा की परिधि मे आने से दावा हाजा वार्ड वाई लॉ व रेसज्यूडीकेटा के सिद्वान्त से बाधित होने से ऑर्डर 7 रूल्स 11 जा0 दी0 के तहत रिजेक्ट कर खारिज किये जाने योग्य है। अंत मे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दावा को खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी/अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को अपनी पैतृक सम्पत्ति होना अंकित करते हुए उक्त वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे समर्थन में वादीगण द्वारा समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी अपने वादपत्र मे संलग्न किया है प्रार्थनापत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है विवादग्रस्त आराजीयात से मृतक वशीर का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नही रहा है विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण के बाबा मृतक रजोल की खातेदारी मे रही है और आज भी उक्त आराजीयात रजोल की खातेदारी मे ही दर्ज है। विवादित आराजीयात वर्तमान में रेवेन्यू रिकॉर्ड मे वादीगण के बाबा मृतक रजोल व हिस्सा 1/2 मनोहरी, मुरारी, भगवत, भौरीलाल पिसरान टंटी बहिस्सा 1/2 खातेदारी मे दर्ज है इसलिए प्रतिवादी अमरसिंह की ओर से प्रस्तुत तथाकथित वाद संख्या 188/1989 उनवानी किशन बनाम अमरसिंह बगै0 आदेश तरीखी 19.01.2004 की पालना आज दिनांक तक नही हो पाई है उक्त आदेश को करीव 19 साल का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए किसी डिकी की पालना बाबत परिसीमन अधिनियम के प्रावधानो के तहत 12 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके फलस्वरूप उक्त आदेश तरीखी 19.01.2004 की वैधानिकता स्वमेव ही समाप्त हो चुकि है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है साथ ही प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के ग्राउण्ड के अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल्स 11 सी. पी.सी. की परप्यू मे नही आने के कारण भी प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकुलाओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने बहस साक्ष्य के तोर पर उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय दिनांक 19.01.2004 की प्राथमिक डिकी एवं निर्णय की प्रति तथा अन्तिम डिकी दिनांक 13.08.2004 एवं निर्णय दिनांक 13.08.2004 की प्रति मिलान क्षेत्रफल वयनामा वशीर बनाम गुटेरी आदि दिनांक 24.05. 1961 एवं वयनामा वशीर बनाम गुटेरी दिनांक 24.05.19961 तथा हाल जमाबंदी की प्रतियॉ पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी साविक खसरा नं0 658 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा, 659 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा तथा खसरा नं0 654 रकवा 7 वीघा 9 विस्वा, 655 रकवा 11 विस्वा, 656 रकवा 11 विस्वा, 659 रकवा 9 वीघा 10 विस्वा, 652 रकवा 5 विस्वा, ग्राम हिण्डौन में खातेदारी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन की रही है इनके द्वारा अपनी खातेदारी को दिनांक 24.05.1961 को उपरोक्त आराजी जरिये वयनामा गुटेरी पुत्र रजोले, किशन पुत्र राम[illegible] [illegible] पुत्र राधाकिशन जाति धाकड को विक्रय करते हुए उपपंजीयक हिण्डौन के यहॉ दस्तावेज [illegible] [illegible]ाये गये है जिसका तहसीलदार हिण्डौन ने अमल नही करने पर केतागण [illegible] [illegible]किशन ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के यहॉ पर दावा मु0 न[illegible] [illegible]या था जिसमें प्रतिवादी के रूप मे गुटेरी के वारिस तथा गुटेरी के भाई दुलाराम के वारिस तथा क[illegible]म के वारिस को भी पक्षकार बनाया गया था प्रतिवादीगणों ने इस सम्बंध में उपखण्ड न्यायालय में जबाब दावा एवं साक्ष्य भी पेश किया गया जिसमें न्यायालय ने पक्षकारो को सुनवाई करते हुए दिनांक 19.01.2004 को दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी प्राथमिक डिकी करते हुए तहसीलदार हिण्डौन को मौका बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
हिण्डौन सिटी ([illegible]

Scanned with CamScanner

तहसीलदार ने मुताविक प्राथमिक डिकी के बटवारा स्कीम तैयार कर उपखण्ड कार्यालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमें न्यायालय ने दिनांक 13.08.2004 को पक्षकारो की सुनवाई करते हुए अन्तिम डिकी पारित की गई। मुताविक डिकी के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तत्समय ही हो गया है। जहाँ पर वादीगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमे भूमि को पैतृक बता कर दावे के साथ जो जमाबंदी तथाकथित पेश की गई है जो जमाबंदी सम्बत 2055 से 58 की पेश की गई है प्रस्तुत जमाबंदी न्यायालय से निर्णय व डिकी दिनांक 19.01.2004 के होने से पूर्व की है जबकि वादी ने दावा दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत किया गया। 22 साल पुरानी जमाबंदी से पेश कर न्यायालय को गुमराह किया गया है प्रार्थनापत्र के जबाब मे भी वर्तमान जमाबंदी अथवा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है कभी भी उपखण्ड न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.2004 के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है ना ही साविक खातेदार बशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान से कय किये गये वयनामा का भी किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है वादीगण जो कि पूर्व में उपखण्ड न्यायालय में दायर दावा मु0 नं0 188/1998 इनके पूर्वज मौजूद थे तत्समय ही उनका अधिकार प्राप्त हो चुका है तथा न्यायालय हाजा स्वयं के निर्णय के खिलाफ अलग से दावा सुनने का अधिकार प्राप्त नही हो जो रेज्यूकेटा की परिधि मे वाधित है इस प्रकार से वादीगण ने विना किसी साक्ष्य के यह दावा विना कानून के विधिवत पेश किया गया जो अपने आप में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए इसी स्टेज पर दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी ने अपने जबाव प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज गुटेरी की खातेदारी है जो दावे में शामिल जमाबंदी के अनुसार है उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 19.01.2004 को किये गये निर्णय की पालना आज दिनांक तक नही कराई गई है जो अपने आप में इजराय की पालना 12 साल बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है ऐसी स्थिति में वादीगण के पूर्वज गुटेरी की भूमि मे वादीगण का हिस्सा है ओर हिस्से के मुताविक वादीगण अपनी खातेदारी भूमि को अपने नाम कराने का अधिकार रखते है तथा भूमि कस्टोडियिम की है जो विकय पत्र साबिक खातेदार बाहर जाने के बाद तथाकथित रूप से कराई गई है जो कानूनन सही नहीं है। इस भूमि से वशीर का किसी प्रकार कोई लेना देना नही है अंत में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाते हुए दावे को सुना जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण ने दावा वावत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमे विवादित आराजी को हिन्दू सयुक्त परिवार पैतृक भूमि प्रकट की गई है। जिसमें मूल दावा मे विवादित साविक खसरा नम्बर 658 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा, 659 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा तथा खसरा नं0 654 रकवा 7 वीघा 9 विस्वा, 655 रकवा 11 विस्वा, 656 रकवा 11 विस्वा, 659 रकवा 9 वीघा 10 विस्वा, 652 रकवा 5 विस्वा, ग्राम हिण्डौन जिसके नवीन खसरा नम्बर 1193/9796, 1157, 1158, 1160, 1161, 1181, 1187, 1190, 1191, 1192, कुल किता 10 कुल रकवा 3.78 है0 बने है। जिनके निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	सम्वत	खसरा नम्बर	[illegible]
1	जमाबंदी	2017 से 20	[illegible] 651, 652, 658, [illegible]	[illegible] नजीर खॉ जाति मुसलमान हिस्सा [illegible] काश्त कनाई, रजोल धाकड
2	जमाबंदी	2054 से 57	1157, 1158, 1160, 1161, 1181, 1187, 1190, 1191, 1192, 1193/9796	रज[illegible] पुत्र लिटठे हिस्सा 1/2, मनोहरी, मुरारीलाल, भगवतलाल,भौरीसिंह पिसरान टंटी समभाग 1/2 जाति धाकड
3	जमाबंदी	2051 से 54	1148, 1174, 1175, 1176, 1277, 1178,	वशीर पुत्र नजीर खॉ जाति मुसलमान निवासी

उपखण्ड अधि... हिण्डौन सिटी (क...

Scanned with CamScanner

			1179, 1180, 1183, 1187, 1183/9796	हिण्डौन
4	मिलान क्षेत्रफल	2046 से 66	साविक 649, 651, 652, 655, 656, 658, 659, 692,	————
5	वयनामा	07.06.1961	658 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा, 659 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा	वशीर पुत्र नजीर खॉं बनाम गुटेरी पुत्र रजोल, किशन पुत्र रामरतन, लिटठी पुत्र राधाकिशन, भूरसिंह पुत्र कन्ही
6	वयनामा	07.06.1961	649 , 655, 656, 651, 652	वशीर पुत्र नजीर खॉं बनाम गुटेरी पुत्र रजोल, किशन पुत्र रामरतन, लिटठी पुत्र राधाकिशन, भूरसिंह पुत्र कन्ही
7	प्राथमिक डिकी व निर्णय	19.01.2004	उपरोक्त आराजी	मु0 नं0 188/1998 उनवान किशन बगै0 बनाम अमरसिंह बगै0
8	अन्तिम डिकी व निर्णय	13.08.2004	उपरोक्त आराजी	मु0 नं0 188/1998 उनवान किशन बगै0 बनाम अमरसिंह बगै0
9	नामान्तकरण सं. 2285	25.09.2004	1148, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1183, 1188, 1183/9797, 1157, 1158, 1160, 1161, 1181, 1187, 1190, 1100, 1192, 1193/9796,	वशीर पुत्र नजीर खॉं जाति मुसलमान तथा रजोल पुत्र मिटठे हिस्सा 1/2, मनोहरी, मुरारी, भगवतलाल, भौरीसिंह पिसरान पिन्दू सम्भाग 1/2 जाति धाकड बहक भूरसिह उर्फ भौरूसिंह पुत्र कन्हीराम जाति धाकड खसरा नं0 1160, 1183, 1174, 1181/1 कुल किता 4 कुल रकवा 1.34 है0, अमरसिंह भगतसिंह भूरसिंह पिसरान गुटेरी जाति धाकड, खसरा नं0 1188, 1161, 1175, 1176, 1191, 1190/3, 1192 कुल किता 7 कुल रकवा 1.34 है0 किशन पुत्र रामरतन जाति धाकड खसरा नं0 1157, 1187, 1181/2, 1190/1, 1177 कुल किता 5 कुल रकवा 1.38 है0, लिटठी पुत्र राधाकिशन जाति धाकड खसरा नं0 1158, 1178, 1190/2 कुल किता 3 कुल रकवा 1.38 है0 स्वीकार हुआ है।
9	जमाबंदी	2071 से 2074	उपरोक्तसभी	6 किता जमाबंदी उपरोक्त सभी

उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो में यह तो साबित हो रहा है कि वादी /अप्रार्थीगण मृतक रजोल के वारिसान है किन्तु न्यायालय हाजा के द्वारा साबिक खातेदार बशीर पुत्र नजीर खॉं के विकयपत्रों दिनांक 07.06.1961 के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 19.01.2004 को प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 13.08.2004 को अन्तिम डिकी पक्षकारान को सुन कर पारित की गई है उसी के अनुसार नामान्तकरण संख्या 285 उपरोक्त सूची के कम संख्या 9 के अनुसार सभी खातेदारो के नाम प्रथक–प्रथक खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड हो गये है।

वादी/अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थनापत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है मात्र मूल दावा में निम्न दस्तावेज पेश किये है।

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	सम्वत	खसरा नम्बर	नाम खातेदार
1	जमाबंदी	2055 से 2058	1157, 1158, 1160, 1161, 1181, 1187, 1190, 1191, 1192,	रजोल पुत्र मिटठे हिस्सा 1/2, मनोहरी, मुरारीलाल, भगवतीलाल, [illegible]सरान टंटी हिस्सा बराबर [illegible]2 जाति धाकड

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त सारणी के अनुसार वादी/अप्रार्थी [illegible] यह सावित हो रहा है कि वादीगण के द्वारा न्यायालय हाजा से पारित निर्णय दिनांक 19.01.2004 से पूर्व की जमाबंदी संवत 2054 से 2057 पेश की गई है दौराने दावा प्रस्तुत करने से 22 साल पुरानी जमाबंदी है।

प्रार्थनापत्र ऑडर 7 नियम 11 सी.पी.सी के नियम निम्न प्रकार से है।

उपखण्ड अधि
हिण्डौन सिटी (व.

Scanned with CamScanner

वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहॉं वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहॉं दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहॉं दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

(घ) जाहॅ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (परन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नही बढाया जायेगा जब तक कि न्यायाल का अभिलिखित किये जाने वाले करणों से यह समाधान नही हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्वि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।)

धार 11 सी.पी.सी के नियम निम्न प्रकार से है।

पूर्वन्यायः– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे प्श्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाधक वाद मे उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन से यह साबित हो रहा है कि विवादित आराजी साविक खातेदार बशीर पुत्र नजीर खॉं जाति मुसलमान के नाम सम्बत 2017 से 2020 मे खातेदारी रही है साविक खातेदार ने अपनी खातेदारी का विधिवत विकयपत्र दिनांक 07.06.1961 को गुटेरी पुत्र रजोल किशन पुत्र रामरतन, लिटठी पुत्र राधाकिशन, भूरसिंह पुत्र कन्हीराम जाति धाकड के नाम बरावर–बरावर भागो मे उपपंजीयक हिण्डौन के यहॉं पर दस्तावेज पंजीकृत कराया गया था किन्तु उक्त आराजी पर तत्समय खातेदारी नामान्तकरण दर्ज नही होने पर भूमि धारा 19 के तहत विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज होने पर केता द्वारा अपनी भूमि को अपने नाम कराने के लिए मुकदमा घोषणा खातेदारी एवं बटवारा का न्यायालय हाजा में मु0 नं0 188/1998 उनवानी किशन बनाम अमरसिंह आदि के नाम से दर्ज कराया गया था जो न्यायालय हाजा ने विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 19.01.2004 को प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 13.08.2004 को अन्तिम डिकी पारित की गई डिकी की पालना में नामान्तकरण संख्या 285 के अनुसार अलग–अलग खाता दर्ज होकर वर्तमान में उनके वारिसान के नाम जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है जहॉं [illegible]/अप्रार्थी का अपने दावा एवं जबाब प्रार्थनापत्र तथा वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रकरण [illegible] जिला कलक्टर महोदय करौली में स्थानानतरण करने हेतु पेश किया गया था जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली ने मुकदमा नं0 29/23 उनवानी बनवारी आदि बनाम अमरसिंह बगै0 में अपने निर्णय दिनांक 13.02.2024 में वादी/अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए निर्णय की प्रति न्यायालय को भिजवाई गई है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि वादी/अप्रार्थीगण इस प्रकरण को देरीना करने एवं तथाकथित जमाबंदी सम्बत 2055 से 2058

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

दावे मे शामिल कर दी गई है और विवादित भूमि को तथाकथित जमाबंदी से बुजुर्ग रजोली के नाम खातेदारी होने के नाते खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है ओर वहॉं पर यह है कि विवादित भूमि जरिये विक्रयपत्र साबिक खातेदार बशीर पुत्र नजीर खॉं दिनांक 07.06.1961 से गुटेरी पुत्र रजोल, किशन पुत्र रामरतन, लिटठी पुत्र राधाकिशन, भूरसिंह पुत्र कन्हीराम जाति धाकड के नाम प्राप्त हुई है जो इन्द्राज रजोले पुत्र लिटठे के नाम दर्ज थे उन्हे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2004 में समाप्त कर दिये गये है। न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के विरूद्व किसी भी सक्षम न्यायालय में अपनी सम्बंधी कोई चुनौती देने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही है। इस प्रकार से वाद पत्र में विरासत सम्बंधित वादहेतुक प्रकट नही होते है ना ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया हो जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से इनके बुजुर्ग के नाम भूमि दर्ज हो जो जमाबंदी वादी ने अपने दावा के साथ दिनांक 21.06.2023 को तथाकथित जमाबंदी सम्बत 2055 से 2058 की पेश की गई है। वह प्रार्थी/प्रतिवादीगण के दावा निर्णय दिनांक 19.01.2004 से पूर्व की है। जिसका निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार से न्यायालय हाजा द्वारा विवादित जमीन का दिनांक 19.01.2004 को ही निर्णय किया जा चुका है। निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2004 व 13.08.2004 तथा विक्रयपत्र दिनांक 17.06.1961 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सम्बंध में वादीगण का दावा दायर करने हेतु कानूनन कोई विनाय दावा पैदा नही होता है, साथ ही वादी/अप्रार्थीगण ने जो दावा पेश किया गया है उसमें वादीगण की कुल सख्या 21 है किन्तु दावे में एवं बकालतनामा पर मात्र 6 वादीगणों के ही हस्ताक्षर हैं ऐसी स्थिति में ही दावा अपने आप में अपूर्ण है एवं न्यायालय को भी गुमराह करके पेश किया गया है, तथा विवादित भूमि का दावा पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा उक्त पक्षकारो के बुजुर्गो के मध्य समस्त अधिकार मुकदमा नम्बर 188/1998 उनवानी किशन आदि बनाम अमरसिंह आदि में तय किये जाने से दावा कानूनन रेसज्यूडीकेटा की परिधि मे आने से दावा हाजा वार्ड वाई लॉ व रेसज्यूडीकेटा के सिद्वान्त से वाधित होने के कारण सुनवाई किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रतिवादी/ प्रार्थीगण खिलाफ वादी /अप्रार्थीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा मूल दावा मु0 नं0 85/2023 उनवानी बनवारी आदि बनाम अमरसिंह बगै0 दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 188 का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिंटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner